

हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

संख्या: पीसीएच-एचए (3)36 / 96- ५४१७६-८३ शिमला-171009

दिनांक ३१.१२.२०२४

अधिसूचना

यह कि प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: यू०डी०-८० (1)-15 / 2024 दिनांक 20.12.2024 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्याक 13) की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन ग्राम पंचायत खुण्डिया व छिलगा के संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को सम्मिलित कर नगर पंचायत खुण्डिया, जिला कांगड़ा का गठन किया गया है;


इस बावत शहरी विकास विभाग द्वारा नगर पंचायत खुण्डिया के गठन बारे प्रस्तावित स्थानीय क्षेत्रों के निवासियों से नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और तदनुसार उन पर आवश्यक विनिश्चय किया गया ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला कांगड़ा, विकास खण्ड सुराणी की संलग्न अनुसूची अनुसार विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्र को अपवर्जित (exclude) करने के आदेश प्रदान करते हैं। यह आदेश उक्त अधिनियम की धारा (2-क) के प्रावधानों अनुसार पंचायत के पदाधिकारियों की पदावधि को, इस अधिनियम का धारा 120 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत की कालावधि के अवसान या इस अधिनियम की धारा 140 के अधीन इसके विघटन तक, प्रभावित नहीं करेगें।

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।
- ३१-१२-२०२४

पृष्ठांकन संख्या: उपरोक्त- ५४१७६-८३
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

- प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-02.
- निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला-02.
- उपायुक्त, जिला कांगड़ा स्थित धर्मशाला हिमाचल प्रदेश।
- जिला पंचायत अधिकारी, जिला कांगड़ा स्थित धर्मशाला हिमाचल प्रदेश।
- खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुराणी, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
- प्रधान / सचिव, सम्बन्धित ग्राम पंचायत, विकास खण्ड सुराणी, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
- ई-राजपत्र।


विशेष सचिव (पं० राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

"अनुसूची"

क्र0 सं0	ग्राम पंचायतों के नाम	पूर्णतः/ <u>आंशिक</u>	पटवार वृत्त का नाम	मोहाल/ मौजा का नाम	प्रस्तावित खसरा नम्बर जो शहरी विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 29.12.2024 में विनिर्दिष्ट है।
1	2	3	4	5	6
1	खुण्डया	आंशिक	खुण्डया	खुण्डया	मोहाल के पूर्ण खसरा न0 कुल खसरा न0 -643
				गलोटी	मोहाल के पूर्ण खसरा न0 कुल खसरा न0 -934
				लाहडू	मोहाल के पूर्ण खसरा न0 कुल खसरा न0 -570
				सिहोटी	मोहाल के पूर्ण खसरा न0 कुल खसरा न0 -860
2	छिलगा			ठम्बा	मोहाल के पूर्ण खसरा न0 कुल खसरा न0 -860
